उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– 604 /VIII-1/2020–31/(श्रम)/2015 टीसी–III

देहरादूनः दिनांकः 2 जून, 2020

अधिसूचना

चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य, कोरोना वायरस (कोविड–19) के फैलाव से संकटग्रस्त है, जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त है;

अतएव, राज्यपाल, महामारी अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित विनियम विहित करते हैः–

1. कोविड–19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों या जो कोविड–19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथककरण में रखे गये हो, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात् अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।
2. ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वारा पर, को कोविड–19 की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।
3. यह विनियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(हरबंस सिंह चुघ)

सचिव।

संख्याः– 604 /VIII-1/2020–31/(श्रम)/2015 टीसी–III, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2- निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण एवं मा. राज्यमंत्रीगण(स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड शासन को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4- निजी सचिव, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के संज्ञानार्थ।

5- श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी। विभाग की वैबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करने व व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु।

6. निदेशक, एन.आई.सी. देहरादून।

7- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(उमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव।